ऐच.एस. बेदी और विनय मित्तल जे. के समक्ष

हरियाणा लोक सेवा आयोग – याचिकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - उत्तरदाताओ

सी.डब्लो.पी. 2005 का संख्या 12593

12 अगस्त, 2005

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 14 और 226 - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988- धारा 2(सी), खंड (x) - सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए पिछले कुछ चयनों में सतर्कता जांच आयोजित करने का आदेश दिया-सतर्कता विभाग द्वारा आयोग का रिकॉर्ड तलब करना - चुनौती - क्या राज्य के सतर्कता विभाग के पास आयोग के कामकाज के खिलाफ सतर्कता जांच करने का अधिकार क्षेत्र या अधिकार है - परिभाषा में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को शामिल करते हुए 1988 अधिनियम के प्रावधान लोक सेवक की - राज्य सरकार को नियमों में संशोधन करके चयन के लिए आयोग को भेजी गई किसी भी अधियाचना को वापस लेने और विभिन्न पदों पर चयन/नियुक्तियों को आयोग के दायरे से बाहर करने की शक्ति है - सतर्कता विभाग द्वारा की गई पूछताछ का यह मतलब नहीं निकाला जा सकता है आयोग के अधिकार या उसकी स्वतंत्रता का कोई क्षरण - यदि चयनों पर आरोप लगाया जाता है कि वे दोषपूर्ण हैं और योग्यता के अलावा अन्य विचार पर आधारित हैं तो आयोग ऐसी परिस्थितियों में किसी भी छूट का दावा नहीं कर सकता है - किसी भी निकाय को अवैध रूप से काम करने या छिपाने का निहित अधिकार नहीं है घोटाला- याचिका खारिज होने योग्य है।

अभिनिर्णित, कि अब सतर्कता ब्यूरो द्वारा की जा रही पूछताछ कुछ पिछले चयनों से संबंधित है। याचिकाकर्ता/आयोग को प्राप्त संचार से ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग के पूर्व सचिव, पूर्व अध्यक्ष और कुछ अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यों की गंभीर आरोपों के संबंध में जांच की जा रही है। किसी भी परिस्थिति में, उपरोक्त जांच का अर्थ आयोग के अधिकार या उसकी स्वतंत्रता में कोई कमी नहीं माना जा सकता है। यहां तक कि आयोग जैसी विशेषज्ञ और संवैधानिक संस्था से भी अपेक्षा की जाती है कि वह निडर होकर अपने कर्तव्यों का पालन करे और उपलब्ध सर्वोत्तम योग्यता के आधार पर चयन करे। हालाँकि, यदि उपरोक्त चयनों पर आरोप लगाया जाता है कि वे दोषपूर्ण हैं और योग्यता के अलावा अन्य विचार पर आधारित हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में, आयोग किसी भी छूट का दावा नहीं कर सकता है। किसी भी निकाय को अवैधता को कायम रखने या किसी घोटाले को छिपाने का निहित अधिकार नहीं

है। माना जाता है कि लोक सेवकों द्वारा किए गए सभी चयन उनकी योग्यता और ईमानदारी पर आधारित होते हैं। इसके विपरीत आरोपों से न केवल आयोग में जनता का विश्वास कम होगा, बल्कि योग्यता को भी नुकसान होगा। यह निश्चित रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित संवैधानिक योजना के विपरीत है। आयोग को पूछताछ के संबंध में शिकायत करने के बजाय, अपना उचित नाम साफ़ करने के लिए अधिक उत्सुक होना चाहिए। (पैरा 15)

आगे निर्णीत किया, आयोग द्वारा अपने अध्यक्ष और सदस्यों की रक्षा करने का प्रयास किया गया है, जिन्होंने अज्ञात कारणों से सीधे इस न्यायालय से संपर्क नहीं करने का विकल्प चुना है। आयोग, जो एक संवैधानिक संस्था है, ने अनावश्यक रूप से अध्यक्ष और सदस्यों के हितों की निगरानी के लिए वर्तमान याचिका दायर की है, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहना चुना है। आयोग न तो स्वयं की बराबरी कर सकता है और न ही भारत के संविधान के तहत इसे अपने अध्यक्ष और इसके सदस्यों के बराबर रखा जा सकता है। आयोग की एक विशिष्ट और संवैधानिक पहचान है, जो इसके अध्यक्ष और सदस्यों से स्वतंत्र है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि वर्तमान याचिका अध्यक्ष और सदस्यों के कहने पर दायर की गई है, हालांकि आयोग के नाम पर। हम आयोग के इस कृत्य पर अनुमोदन की कोई मोहर नहीं लगा सकते।

(पैरा 23)

एम ऐल सरीन, विरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ एच एन मेथनी और जी सी शाहपुरी, अधिवक्ता, याचिकर्ताओं के लिये

निर्णय

विनय मित्तल जे.

(1) वर्तमान याचिका के माध्यम से, हरियाणा लोक सेवा आयोग (इसके बाद इसे "आयोग" कहा जाएगा) द्वारा राज्य सरकार द्वारा यह पता लगाने के प्रयासों को विफल करने का दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास किया गया है कि क्या आयोग द्वारा पिछले कुछ चयनों में , इसके अधिकारी और कर्मचारी, इसके सचिव इसके सदस्य और पिछले अध्यक्ष आदि ने कुछ बाहरी और अवैध विचार पर कार्य किया था। आयोग की शिकायत है कि उपरोक्त सतर्कता जांच करना और सतर्कता विभाग द्वारा उपरोक्त पिछले चयनों के रिकॉर्ड को तलब करना वास्तव में आयोग की स्वतंत्रता और संवैधानिक स्थिति पर अतिक्रमण था।

(2) आयोग ने कहा है कि फरवरी/मार्च 2005 में हरियाणा राज्य में विधानसभा के लिए आम चुनाव हुए थे। उसी के परिणामस्वरूप राज्य में "कांग्रेस सरकार" का गठन हुआ। हालाँकि, इसमें यह भी जोड़ दिया गया है कि वर्तमान अध्यक्ष और सदस्य गैर-राजनीतिक व्यक्ति हैं। यह तर्क दिया गया है कि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष और वर्तमान सदस्य पिछली "इंडियन नेशनल

लोकदल" सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति हैं। वर्तमान याचिका में यह दलील दी गई है कि नई सरकार के गठन के बाद, आयोग को पिछले कुछ चयनों से संबंधित कुछ रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न संचार प्राप्त हुए थे। आयोग ने अपनी ओर से उपरोक्त सभी संचारों का जवाब देते हुए रिकॉर्ड उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया और अपनी संवैधानिक स्थिति और अधिकार को दोहराया। इसके अतिरिक्त, 12 मार्च 1987 को मुख्य सचिव से निदेशक राज्य सतर्कता ब्यूरो को दिए गए ज्ञापन में शामिल कानूनी सलाहकार, हरियाणा की सलाह पर भी भरोसा किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि "हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य नहीं हैं" पत्र संख्या 4/22/78-सतर्कता (1) दिनांक 19 फरवरी 1980 में प्राप्त निर्देशों के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारी। इसलिए, सतर्कता विभाग के पास लोक सेवा आयोग के रिकॉर्ड की जांच और जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक है अधिकार"। मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार का दिनांक 4 जुलाई 2005 का संचार, निदेशक राज्य सतर्कता ब्यूरो को संबोधित, जिसकी एक प्रति हरियाणा लोक सेवा आयोग को भी पृष्ठांकित की गई थी - उपरोक्त तिथि के पृष्ठांकन के तहत अनुलग्नक पी/21 के रूप में संलग्न किया गया है। वर्तमान याचिका. इस स्तर पर, राज्य सरकार द्वारा उठाए गए रुख की सराहना के लिए उपरोक्त संचार को निकालना प्रासंगिक होगा:

> *"मुझे उपरोक्त विषय पर आपके मेमो नंबर 1241/एसवीबी-9 दिनांक 7 मई 2005 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने और यह बताने के लिए निर्देशित किया गया है कि क्या सतर्कता विभाग/राज्य सतर्कता ब्यूरो के पास शिकायतों की जांच और जांच करने का अधिकार क्षेत्र है और आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों के विरुद्ध सतर्कता विभाग/सतर्कता ब्यूरो में प्राप्त कुछ शिकायतों/सूचनाओं के मद्देनजर हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों वाली जानकारी की दोबारा जांच की गई। इस संबंध में, राज्य सरकार के एक पूर्व पत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है - मेमो नंबर 66/6/87-7जीएसआई दिनांक 10 मार्च 1987, जिसमें एलआर की सलाह के आधार पर कहा गया था कि सतर्कता विभाग के पास जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। लोक सेवा आयोग के रिकॉर्ड की जांच करें. लेकिन वर्ष 1988 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के लागू होने से स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन आ गया। यह मामला हाल ही में सलाह के लिए एलआर को भेजा गया था। एलआर ने नीचे दी गई सलाह दी है:*
>
> *"पिछली सलाह इस आधार पर दी गई थी कि एक संवैधानिक प्राधिकारी होने के नाते, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों को सरकारी कर्मचारी/लोक सेवक की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया जा सकता है, ताकि सतर्कता विभाग के अधिकार क्षेत्र में संशोधन किया जा सके। . हालाँकि, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अधिनियमन के बाद, जो लोक सेवक की परिभाषा के तहत सेवा आयोग*

या बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्यों या कर्मचारी को कवर करता है, - धारा 2(सी)(x) के तहत, पिछली सलाह ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है।

सेवा आयोग/बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्यों और अन्य कर्मचारियों को लोक सेवक के दायरे में लाने के लिए ऊपर उल्लिखित एक स्पष्ट वैधानिक प्रावधान है, मार्च 1987 के पत्र संख्या 66/6/87-7जीएसआई में बताई गई स्थिति अब नहीं रही वैध। इस प्रकार, सतर्कता विभाग के पास हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली शिकायतों और सूचनाओं की जांच करने और जांच करने का अधिकार क्षेत्र है और इस उद्देश्य के लिए उसके पास आयोग के रिकॉर्ड की जांच और जांच करने की शक्ति है।"

(2) सलाह के मद्देनजर, ऊपर उल्लिखित 10 मार्च 1987 का पत्र हटा दिया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि सतर्कता विभाग/राज्य सतर्कता ब्यूरो एल.आर. की सलाह के अनुसार कार्रवाई करेगा।"

(3) हालाँकि, आयोग अपने रुख पर कायम रहा और सतर्कता ब्यूरो द्वारा रिकॉर्ड की आपूर्ति के लिए किए गए विभिन्न अनुरोधों के जवाब में इसे दोहराया।

(4) आयोग ने वर्तमान याचिका के माध्यम से इस न्यायालय से संपर्क किया है और दावा किया है कि उपरोक्त संचार दिनांक 25 मई 2005 (अनुलग्नक पी/2), 14 जुलाई 2004 (अनुलग्नक पी/4), 3 मई 2005 (अनुलग्नक पी/6), 5 मई 2005 (अनुलग्नक पी/9), 7 मई 2005 (अनुलग्नक पी/II), 13 मई 2005 (अनुलग्नक पी/12) और 5 जुलाई 2005 (अनुलग्नक पी/14) क्षेत्राधिकार के बिना हैं, भारत के संविधान के दायरे से बाहर हैं, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हैं। भारत के संविधान के अनुसार, यह द्वेष पर आधारित है और उत्तरदाताओं द्वारा अधिकार और शक्तियों का दुरुपयोग है, जिसका एकमात्र उद्देश्य "हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को अपमान, उत्पीड़न और बदनामी में डालना है"। उत्तरदाताओं को आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप न करने, न ही आयोग द्वारा किए गए चयन की वैधता, औचित्य और योग्यता का निर्णय करने का निर्देश देने के लिए परमादेश रिट जारी करने के लिए एक और दिशा-निर्देश मांगा गया है। साथ ही, 2000 से 2004 की अवधि या उससे पहले या बाद की किसी भी अवधि के लिए चयन करने में आयोग की कार्यप्रणाली की जांच न करने का एक और निर्देश दिया गया है।

(5) वर्तमान याचिका दाखिल करते समय याचिका में कुछ और तथ्य पेश किये गये हैं। यह दलील दी गई है कि 23 मार्च 2005 के एक आदेश के तहत, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और एक सदस्य को उन्हें आवंटित आधिकारिक आवास खाली करने की आवश्यकता थी। उन्हें इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा जहां से अंतरिम राहत दी गई थी। याचिका में ऐसे

कई अन्य उदाहरण पेश किए गए हैं, जिनमें विभिन्न पदों पर सिफारिशें करने की मांगें वापस ले ली गई हैं। राज्य सरकार द्वारा कुछ पदों को आयोग के दायरे से बाहर करते हुए नियमों में संशोधन भी किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह दावा किया गया है कि वर्तमान सरकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ सतर्कता जांच कराकर उन्हें कुछ आपराधिक मामलों में फंसाने का काम कर रही है। यह भी दावा किया गया है कि राज्य सतर्कता ब्यूरो के पास अतीत में आयोग द्वारा किए गए चयनों की जांच करने की न तो कोई क्षमता है और न ही कोई अधिकार है।

(6) हमने आयोग के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एमएल सरीन को विस्तार से सुना है और उनकी सहायता से मामले के रिकॉर्ड को भी देखा है।

(7) विद्वान वरिष्ठ वकील ने बड़ी दृढ़ता से तर्क दिया कि न तो अध्यक्ष और न ही आयोग के सदस्य सरकारी कर्मचारी थे और इसलिए उनके कामकाज के खिलाफ सतर्कता विभाग द्वारा कोई भी जांच पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र और अधिकार के बिना थी। उपरोक्त तर्क को विस्तृत करने के लिए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने 12 मार्च 1987 को मुख्य सचिव से लेकर निदेशक राज्य सतर्कता ब्यूरो तक के संचार पर दृढ़ता से भरोसा किया है, जिसमें कानूनी सलाहकार की राय शामिल है कि हरियाणा पब्लिक के अध्यक्ष/सदस्य सेवा आयोग सरकारी सेवक नहीं है, इसलिए सतर्कता विभाग के पास लोक सेवा आयोग के रिकॉर्ड की जांच और जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यह एक संवैधानिक प्राधिकरण है। उपरोक्त ज्ञापन के आधार पर, वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि रिकॉर्ड को तलब करने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई वास्तव में आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप थी, जो न केवल अवैध थी बल्कि असंवैधानिक भी थी।

(8) श्री सरीन ने गिरीश अरोड़ा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1) के मामले में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर भी मजबूत भरोसा जताया है। तदनुसार, यह तर्क दिया गया है कि राज्य के सतर्कता विभाग के पास किसी भी व्यक्ति, आयोग के सदस्य या उसके अध्यक्ष के खिलाफ कोई औपचारिक एफआईआर दर्ज किए बिना आयोग के कामकाज के खिलाफ सतर्कता जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र या अधिकार नहीं था। हमारा ध्यान उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रफीकुद्दीन और अन्य (2) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें लोक सेवा आयोग की संवैधानिक स्थिति और स्वतंत्र प्राधिकरण को मान्यता दी गई है। अपनी बात पर और ज़ोर देने के लिए, श्री सरीन ने हरजीत सिंह सिद्धू बनाम पंजाब राज्य और अन्य (3) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के विभिन्न निर्णयों पर भी भरोसा किया है। उपरोक्त अधिकारियों के आधार पर, यह जोरदार तर्क दिया

गया है कि जब यह न्यायालय भी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करने में धीमा होगा, जब चयन लोक सेवा आयोग जैसे विशेषज्ञ निकाय द्वारा किया गया है, तो यह पूरी तरह से असंगत होगा सतर्कता अधिकारियों को आयोग के मामलों की जांच करने की अनुमति देना। यह विस्तार से बताया गया है कि जब अदालतें भी चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने में धीमी हैं, तो जाहिर तौर पर पुलिस/राज्य अधिकारियों को चयन प्रक्रिया की जांच करने में खुली छूट की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(9) अंत में, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि वास्तव में चयन के लिए आयोग को भेजी गई बड़ी संख्या में अधियाचनाएं वापस ले ली गई थीं और विभिन्न नियमों में संशोधन किया गया था, जिससे विभिन्न पदों पर चयन/नियुक्तियों को आयोग के दायरे से बाहर कर दिया गया था। आयोग अपने आप में सरकार की दुर्भावना को दर्शाता है। यह दोहराते हुए कि आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और यह विशेषज्ञ व्यक्तियों का एक निकाय है, जसकरन सिंह बराड़ बनाम पंजाब राज्य और अन्य (4) मामले में इस अदालत की पूर्ण पीठ द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर बहुत अधिक भरोसा किया गया है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर, विद्वान वकील ने प्रार्थना की है कि राज्य सरकार सहित उत्तरदाताओं के कार्यों को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(10) हमने विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाए गए विभिन्न तर्कों पर विचारपूर्वक विचार किया है। हालाँकि, हम उपरोक्त तर्कों को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त करते हैं।

(11) शुरुआत में हम देख सकते हैं कि याचिकाकर्ता/आयोग ने कम से कम आक्षेपों द्वारा राजनीतिक विचारों को खींचने की कोशिश की है। यह दलील दी गई है कि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष और सदस्य पिछली "इंडियन नेशनल लोकदल" सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति हैं और चुनाव के बाद, एक नई "कांग्रेस सरकार" ने कार्यभार संभाला है। हालाँकि यह दावा किया गया है कि आयोग के सभी व्यक्ति यानी अध्यक्ष और सदस्य गैर-राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन पूरे विवाद का राजनीतिकरण करने का प्रयास और संकेत ज़ोरदार और स्पष्ट है। उपरोक्त प्रयास आयोग द्वारा उठाए गए विभिन्न तर्कों की जड़ पर हमला करता है। एक संवैधानिक निकाय के रूप में, आयोग से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह राजनीति लाएगी या इस तथ्य पर भरोसा करेगी कि राज्य में सत्तारूढ़ दल बदल गया है। हम आयोग द्वारा किये गये उपरोक्त प्रयास के प्रति केवल अपनी असहमति ही व्यक्त कर सकते हैं।

(12) आयोग द्वारा रखी गई प्राथमिक निर्भरता कानूनी सलाहकार, हरियाणा द्वारा राज्य सरकार को 12 मार्च 1987 के संचार में दी गई सलाह पर है। उस समय, कानूनी सलाहकार द्वारा यह राय दी गई थी कि अध्यक्ष/सदस्य हरियाणा लोक सेवा आयोग सरकारी कर्मचारी नहीं है, जो 19 फरवरी 1980 के निर्देशों के अंतर्गत आता है और इसलिए, सतर्कता विभाग के पास लोक सेवा

आयोग के रिकॉर्ड की जांच और जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यह एक संवैधानिक प्राधिकरण है। यह विवाद में नहीं है कि उपरोक्त संचार जारी करने और कानूनी सलाहकार, हरियाणा द्वारा दी गई सलाह के बाद, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) अधिनियमित किया गया था। यह 9 सितंबर 1988 से प्रभावी और प्रभावी हो गया। अधिनियम की धारा 2 (बी) "सार्वजनिक कर्तव्य' को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है एक कर्तव्य जिसके निर्वहन में राज्य, जनता या बड़े पैमाने पर समुदाय का कोई हित है। धारा 2(सी) एक लोक सेवक को परिभाषित करती है। उसका खंड (x) इस प्रकार प्रदान करता है:

> "कोई भी व्यक्ति जो किसी सेवा आयोग या बोर्ड का अध्यक्ष, सदस्य या कर्मचारी है, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो या ऐसे आयोग या बोर्ड द्वारा किसी परीक्षा के संचालन या ऐसे आयोग की ओर से कोई चयन करने के लिए नियुक्त किसी चयन समिति का सदस्य हो या तख़्ता।"

(13) धारा 2 का स्पष्टीकरण (1) आगे बताता है कि किसी भी उपधारा के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं, चाहे सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो या नहीं। उपरोक्त अधिनियम के अध्याय III में धारा 7 से 16 शामिल हैं। उन स्थितियों के संबंध में विभिन्न अपराध और दंड प्रदान किए गए हैं जब लोक सेवक अवैध परितोषण आदि लेकर अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उपरोक्त 1988 अधिनियम के अधिनियमन पर, लोक सेवक की परिभाषा में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सम्मिलित किया गया है। तदनुसार, उनका पालन करना एक सार्वजनिक कर्तव्य है। इसलिए, वर्ष 1987 में, यानी उपरोक्त 1988 अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले, लीगल रिमेंबरेंसर द्वारा दी गई सलाह ने स्वाभाविक रूप से अपनी प्रासंगिकता खो दी है। इसलिए, मामले की लीगल रिमेंबरेंसर द्वारा फिर से जांच की गई और परिणामस्वरूप पहले की राय को संशोधित किया गया। उपरोक्त संशोधित राय की प्राप्ति पर, हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव ने 4 जुलाई 2005 को निदेशक, राज्य सतर्कता ब्यूरो (अनुलग्नक पी/21) को एक पत्र भेजा, जिसमें 10 मार्च 1987 के पत्र में निहित पिछली सलाह को हटा दिया गया। 4 जुलाई 2005 के उक्त संचार की एक प्रति हरियाणा लोक सेवा आयोग के सचिव को भी भेजी गई थी। हमने फैसले के पहले हिस्से में उपरोक्त संचार पहले ही निकाल लिया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता-आयोग द्वारा वर्ष 1987 की पूर्व सलाह पर निर्भरता को संचार अनुबंध पी/8 के माध्यम से न केवल विशेष रूप से हटा दिया गया है, बल्कि इसकी प्रासंगिकता भी खो गई है। इसलिए, उपरोक्त संचार अनुबंध पी/8 के आधार पर विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(14) गिरीश अरोड़ा के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच के फैसले पर याचिकाकर्ता के वकील द्वारा लगाई गई निर्भरता भी पूरी तरह से गलत है। गिरीश अरोड़ा के मामले में, न्यायालय का ध्यान

आकर्षित करने वाला प्राथमिक प्रश्न यह था कि क्या आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद, राज्य सरकार के पास मनगढ़ंत और आधारहीन शिकायतों के आधार पर रिट याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियों को रोकने का कोई अधिकार क्षेत्र था। खंडपीठ ने उक्त मामले की पृष्ठभूमि की विस्तार से जांच की. इसमें आयोग द्वारा न्यायालय को उपलब्ध कराए गए चयनों के पूरे रिकॉर्ड का भी अध्ययन किया गया। उपरोक्त पृष्ठभूमि की लड़ाई में डिवीजन बेंच द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं, जिन पर वर्तमान याचिकाकर्ता ने दृढ़ता से भरोसा किया है:

> *"68. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को प्रदत्त संवैधानिक संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, यह बिल्कुल जरूरी है कि इन महत्वपूर्ण पदों पर उच्च स्तर की क्षमता, योग्यता और सत्यनिष्ठा रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए। राज्य के प्रशासनिक तंत्र की अखंडता और दक्षता काफी हद तक लोक सेवा आयोग और इसी तरह के अन्य निकायों द्वारा की गई नियुक्तियों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसलिए, लोक सेवा आयोग की स्थापना उच्च योग्यता, विविध अनुभव और निर्विवाद सत्यनिष्ठ व्यक्तियों से की जानी चाहिए और आयोग को सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के उद्देश्य से चयन करने की अपनी प्रक्रिया विकसित करने की पूरी स्वतंत्रता उपलब्ध होनी चाहिए। कार्यकारी अधिकारियों के हस्तक्षेप के कारण आयोग की स्वतंत्रता का क्षरण न केवल आयोग की स्वायत्तता को कम करेगा बल्कि सार्वजनिक सेवाओं को भी बहुत नुकसान पहुँचाएगा। इसलिए, यह सुनिश्चित करना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि लोक सेवा आयोग के कामकाज में नौकरशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप से छेड़छाड़ न हो और आयोग को सार्वजनिक सेवाओं के लिए सर्वोत्तम प्रतिभा का चयन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए।*
>
> *69. इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोक सेवा आयोग की भूमिका अनुशंसात्मक है और नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में सरकार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को मंजूरी देने से इनकार कर सकती है यदि ऐसा करने के अच्छे कारण मौजूद हैं और सरकार को इसका अधिकार भी है। आयोग से सिफारिशें प्राप्त होने के बाद होने वाले विकास पर विचार करना। सरकार उन मामलों में आयोग की सिफारिशों पर अपने वीटो का प्रयोग कर सकती है, जब सिफारिशें दुर्भावनापूर्ण या भ्रष्टाचार से भरी पाई जाती हैं, लेकिन वह न तो आयोग के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप कर सकती है और न ही आयोग के कामकाज की निगरानी कर सकती है। आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को मंजूरी न देने की सरकार की शक्ति को आयोग के कामकाज की सतर्कता जांच का आदेश देने तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। यदि भ्रष्टाचार का कोई आरोप मौजूद है और आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है, तो सरकार कानून के अनुसार उचित कार्रवाई*

कर सकती है, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए सरकार प्रत्येक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और आयोग द्वारा की गई हर सिफारिश और तुच्छ आरोपों पर सतर्कता जांच शुरू करके चयनित उम्मीदवारों के अधिकारों को कुंठित करता है। इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि सरकार को किसी भी तरह से आयोग के अधिकार और स्वतंत्रता को कमजोर नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार आयोग को प्राप्त सर्वोच्चता की स्थिति से सरकार या सदस्यों द्वारा छेड़छाड़ की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बिहार लोक सेवा आयोग बनाम डॉक्टर शिव जतन ठाकुर एआईआर 1994 एससी 2466 मामले में, शीर्ष अदालत ने आयोग के सदस्यों द्वारा खुद को इस तरह से संचालित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है जिससे संस्थान की छवि में सुधार होगा।

70. हमने इस आशा के साथ उपरोक्त टिप्पणियाँ की हैं कि नौकरशाही अधिकारी और सरकार ऐसी कार्रवाई करने से बचेंगे जो आयोग की स्वतंत्रता को नष्ट कर सकती है।"

(15) गिरीश अरोड़ा के मामले में डिवीजन बेंच के पूरे फैसले के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि न्यायालय के समक्ष एकमात्र प्रश्न यह था कि क्या कुछ सतर्कता के लंबित होने के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को नियुक्तियों से वंचित किया जा सकता है। जो पूछताछ निराधार पाई गई। किसी भी हद तक, इस न्यायालय द्वारा यह नहीं माना गया कि किसी भी मामले में, यहां तक कि पहले की गई कुछ नियुक्तियों के संबंध में बाद में सामने आए भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं के आरोपों के बावजूद, कोई जांच नहीं की जा सकती है। उपरोक्त निर्णय के आधार पर वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यही सटीक तर्क उठाया जा रहा है। हम यह स्वीकार नहीं करते कि उक्त प्राधिकारी से ऐसा कोई निष्कर्ष उपलब्ध है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि सतर्कता ब्यूरो द्वारा अब की जा रही पूछताछ कुछ पिछले चयनों से संबंधित है। याचिकाकर्ता-आयोग को प्राप्त संचार से ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग के पूर्व सचिव, पूर्व अध्यक्ष और कुछ अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यों की गंभीर आरोपों के संबंध में जांच की जा रही है। किसी भी परिस्थिति में, उपरोक्त जांच का अर्थ आयोग के अधिकार या उसकी स्वतंत्रता में कोई कमी नहीं माना जा सकता है। यहां तक कि आयोग जैसी विशेषज्ञ और संवैधानिक संस्था से भी अपेक्षा की जाती है कि वह निडर होकर अपने कर्तव्यों का पालन करे और उपलब्ध सर्वोत्तम योग्यता के आधार पर चयन करे। हालाँकि, यदि उपरोक्त चयनों पर आरोप लगाया जाता है कि वे दोषपूर्ण हैं और योग्यता के अलावा अन्य विचार पर आधारित हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में, आयोग किसी भी छूट का दावा नहीं कर सकता है। किसी भी निकाय को अवैधता को कायम रखने या किसी घोटाले को छिपाने का अधिकार नहीं है। लोक सेवकों द्वारा किए गए सभी चयन योग्यता, योग्यता और सत्यनिष्ठा पर आधारित माने जाते हैं। इसके विपरीत आरोपों से न केवल आयोग में जनता का विश्वास कम होगा,

बल्कि योग्यता को भी नुकसान होगा। यह निश्चित रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित संवैधानिक योजना के विपरीत है। आयोग को पूछताछ के संबंध में शिकायत करने के बजाय, अपना उचित नाम साफ़ करने के लिए अधिक उत्सुक होना चाहिए।

(16) विद्वान वकील द्वारा उठाए गए अगले बिंदु पर आने से पहले, उनके द्वारा इस आशय के प्रस्तुतीकरण से निपटना उचित होगा कि औपचारिक एफआईआर दर्ज करने से पहले सतर्कता जांच करने की शक्ति पूरी तरह से अनुचित और अधिकार क्षेत्र के बिना थी। हम देख सकते हैं कि विद्वान वकील का उपरोक्त तर्क दोधारी है। जाहिर है, यदि उपरोक्त तर्क को स्वीकार किया जाए, तो यह मानना होगा कि कोई भी सतर्कता जांच एफआईआर दर्ज किए बिना आगे नहीं बढ़ सकती है। लेकिन साथ ही हम यह नहीं मान सकते कि राज्य सरकार/उसके पदाधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति को औपचारिक एफआईआर दर्ज करने में कोई बाधा है। इसलिए, यदि औपचारिक एफआईआर दर्ज की जाती है, तो विद्वान वकील के अनुसार भी, सतर्कता जांच को उचित ठहराया जा सकता है। हमारे विचार में, यह आयोग, उसके अध्यक्ष और उसके सदस्यों को बचाने के बजाय और अधिक शर्मिंदा करेगा। हमारे विचार में, किसी भी औपचारिक एफआईआर के पंजीकरण के बिना सतर्कता जांच आयोजित करना एक तथ्य खोजने की प्रक्रिया की प्रकृति में है। यदि उपरोक्त कार्यवाही के बाद कोई आपराधिक अपराध बनता है तो कानून अपना काम करेगा। इसलिए, हम आयोग के वकील द्वारा उठाए गए उपरोक्त तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं।

(17) ग्रिसिह अरोड़ा के मामले (सुप्रा) से निपटने के दौरान हमारे द्वारा अपनाए गए तर्क के लिए, हम यह भी पाते हैं कि याचिकाकर्ता रफीकुद्दीन के मामले (सुप्रा) में दिए गए फैसले के पैराग्राफ 14 में शीर्ष न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से कोई लाभ नहीं ले सकता है।

(18) यह हमें विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाए गए अगले तर्क पर लाता है। श्री सरीन ने आयोग द्वारा किए गए चयनों को चुनौती के मामले में न्यायिक समीक्षा की शक्ति से एक सादृश्य निकालने की कोशिश की है, यह तर्क देने के लिए कि चूंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत कार्यवाही में भी यह अदालत भारत सरकार चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और असफल उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों की प्रतिस्पर्धी योग्यता की जांच करने में धीमी होगी, इसलिए, उसी अनुरूप सतर्कता अधिकारियों को आयोग द्वारा किए गये चयनों की जांच करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(19) हम पाते हैं कि विद्वान वकील का उपरोक्त तर्क भी बिना किसी योग्यता के है। कानून की इस पूर्वकल्पना में कोई विवाद नहीं है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय

यह अदालत चयनित उम्मीदवारों की असफल उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धी तुलना करने में धीमी होगी। इस हद तक याचिकाकर्ता द्वारा जसजीत सिंह सिंधु के मामले (सुप्रा) के फैसले पर निर्भरता पूरी तरह से उचित है। हालाँकि, हम उपरोक्त सादृश्य को आगे बढ़ाने में असमर्थता व्यक्त करते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों, दागी चयनों या किसी अवैधता के मामले में भी, चयन के मामले में कोई जांच नहीं की जा सकती है। उपरोक्त तर्क को स्वीकार करना दागी चयनों को कायम रखना होगा। न तो इस तरह का कोई दृष्टिकोण अपनाने वाले किसी न्यायालय के किसी फैसले का हवाला दिया गया है और न ही हमारे लिए उपरोक्त व्यापक प्रस्ताव रखना संभव है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय विचार पूरी तरह से अलग होते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों या घोटालों की जांच करते समय उक्त विचार प्रासंगिक नहीं हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाया गया उपरोक्त तर्क भी बिना किसी योग्यता के है।

(20) अन्त में, विभिन्न पदों पर कतिपय चयन/नियुक्तियाँ करने हेतु नियमों में संशोधन कर चयन करने हेतु आयोग को पूर्व में भेजी गई अधियाचनाओं को वापस लेने के संबंध में विद्वान अधिवक्ता के तर्क पर भी ध्यान दिया जा सकता है। यह तर्क दिया गया है कि यह सब आयोग के अधिकार को कमजोर करने के लिए किया गया था। जसकरन सिंह बराड़ के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर मजबूत निर्भरता रखी गई है:

> *"79. संविधान का अध्याय II नियुक्ति पूर्व चरण से संबंधित है। अनुच्छेद 315 संघ के लिए लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक ऐसा आयोग बनाता है। अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के तरीके का प्रावधान करता है जबकि अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के सदस्यों को स्वतंत्रता प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों में ही हटाया और/या निलंबित किया जा सकता है। आयोग के सदस्यों द्वारा पद धारण करने पर लगाया गया प्रतिबंध, जब वे ऐसे सदस्य नहीं रह जाते हैं, आयोग के सदस्यों को उनके कार्यकाल के बाद के प्रलोभनों से दूर रखने का एक और लाभकारी प्रावधान है, प्रशंसनीय उद्देश्य यह है कि आयोग स्थानीय या बाहरी विचारों के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।*
>
> *अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग पर "सेवाओं में नियुक्ति के लिए अभ्यास करने" और "किसी भी सेवा के लिए योजनाएं बनाने और संचालित करने में राज्यों की सहायता करने के साथ-साथ राज्य पर एक कर्तव्य डालता है" जनता से परामर्श करने का कर्तव्य डालता है। सेवा आयोग सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर भर्ती के तरीकों से संबंधित सभी मामलों पर, सिविल सेवाओं और पदोन्नति सहित पदों पर नियुक्तियां करने में अपनाए जाने वाले सिद्धांतों पर आदि। यह सच है कि*

अनुच्छेद 320 (3) में "करेगा" शब्द शामिल है।) को इसकी अवज्ञा की स्थिति में परिणाम की इच्छा के कारण "हो सकता है" के रूप में पढ़ा गया है। हालाँकि, यह प्रतिबंधित दायरा प्रतिस्पर्धी दावों के मामलों से संबंधित है। किसी राज्य के राजनीतिक और कार्यकारी अधिकारी सार्वजनिक कार्यालयों के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए न केवल अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निर्वहन करने के लिए बाध्य हैं, बल्कि अपने प्रत्येक कार्य के लिए राज्य के लोगों के प्रति जवाबदेह भी हैं। यदि एक विशाल आकार का लोक सेवा आयोग मौजूद है और उसके अध्यक्ष/सदस्यों को राज्य के खजाने की कीमत पर सभी भत्ते और सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और जब वे स्वयं अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने से पीछे नहीं हटते हैं, तो यह बहुत भारी जिम्मेदारी होगी। राज्य सरकार के पदाधिकारियों को उन असाधारण परिस्थितियों को स्पष्ट करने और प्रकट करने के लिए कहा गया है, जिसके कारण उन्हें लोक सेवा आयोग को भर्ती का काम नहीं सौंपना पड़ा और उसे अपने दायरे से बाहर ले जाना पड़ा और उसके बाद अपने स्वयं के कार्यकारी पदाधिकारियों के माध्यम से इसे पूरा करना पड़ा। हमारे बार-बार पूछने पर, राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील इस बात का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके कि इन सात पदों को भरने के लिए पहले आयोग को मांग क्यों नहीं भेजी गई? आधे-अधूरे मन से जो स्पष्टीकरण सामने आया वह यह था कि भर्तियाँ समयबद्ध तरीके से करने का निर्णय लिया गया था ताकि "खिलाड़ियों के हितों को बढ़ावा दिया जा सके" और इसे एक विभागीय चयन समिति के माध्यम से करना समीचीन समझा गया। हो सकता है कि आयोग ने काफी लंबी अवधि खर्च कर ली हो। हमें डर है कि यह स्पष्टीकरण शायद ही किसी विश्वास को प्रेरित करता है। राज्य सरकार के रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि आयोग को कभी एक साधारण प्रश्न भी भेजा गया हो कि भर्ती करने में कितना समय लगेगा। यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि खिलाड़ियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए एक "विशेष अभियान" विफल हो गया होता अगर भर्तियां आयोग के माध्यम से की जातीं। कहने की जरूरत नहीं है कि 1959 के नियमों के तहत, पंजाब पुलिस सेवा यानी डीएसपी के पद पर भर्ती नियम 6(3) के अनुसार लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जानी आवश्यक है। हालाँकि ऐसा प्रतीत होता है कि अनुमानों और अनुमानों से अधिक कुछ भी नहीं है जो एक ठोस निष्कर्ष की नींव नहीं रखता है, तथापि, आरोप लगाए गए थे कि आयोग ने 15 अक्टूबर 2003 के अपने संचार के माध्यम से "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" के मानदंड को अस्वीकार कर दिया था। ने उन उम्मीदवारों का चयन किया है जिनके लिए यह पूरी कवायद की गई थी। दुर्भाग्य से, पंजाब राज्य के अधिकारियों ने इस धारणा को दूर करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया। तथ्य यह है कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को चयन

समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, मुख्यमंत्री से जुड़े कर्मचारियों में से एक अन्य अधिकारी के बेटे का चयन इस तरीके से किया गया था जिसे पहले ही स्पष्ट रूप से समझाया गया है और यह पूर्ण चयन और चयन का सूचक है। नीति, चयन समिति की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर दोषारोपण करती है, यदि यह प्रामाणिक नहीं है।"

(21) हमने विद्वान वकील के उपरोक्त तर्क पर भी विधिवत विचार किया है। हमें इसमें भी कोई खूबी नजर नहीं आती. जसकरन सिंह बराड़ के मामले में पूर्ण पीठ के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या पंजाब राज्य द्वारा लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर निकालकर पुलिस उपाधीक्षक के पदों पर चयन/नियुक्तियां किसी भी तरह से की जाएंगी? ढंग, उचित है या नहीं। पंजाब राज्य ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों की श्रेणी से पुलिस उपाधीक्षकों की कुछ नियुक्तियाँ की थीं। एक अधिसूचना के माध्यम से, उपरोक्त पदों को पूर्व-कैडर पदों के रूप में अधिसूचित किया गया था। तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा उक्त पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं, बल्कि चयन समिति के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया। विवाद पर फैसला सुनाते समय पूर्ण पीठ ने देखा कि उक्त पदों का "एक्स-कैडर" नामकरण केवल उपरोक्त रिक्तियों को भरने और उन्हें लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर करने के उद्देश्य से दिया गया था। जबकि उक्त नियुक्तियों के चयन के बाद सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए नियमित संवर्ग पदों के नियम नियुक्तियों पर लागू होने थे। यह भी देखा गया कि भविष्य में पदोन्नति और भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने के लिए, उपरोक्त नियुक्तियों को कैडर नियुक्तियों के रूप में माना जाना था। यह उपरोक्त तथ्यों के आलोक में था कि पूर्ण पीठ ने उपरोक्त टिप्पणियाँ कीं, जैसा कि ऊपर देखा गया है। किसी भी हद तक, पूर्ण पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि प्रासंगिक नियमों में संशोधन करके कुछ पदों को आयोग के दायरे से बाहर करने की राज्य सरकार की शक्तियों पर किसी भी तरह से टिप्पणी की गई थी। इस संबंध में विद्वान वकील द्वारा की गई शिकायत गलत है। विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाया गया यह तर्क भी बिना किसी योग्यता के है। तदनुसार, इसे अस्वीकृत किया जाता है।

(22) विद्वान वकील के प्रति निष्पक्ष होने के लिए, उत्तरदाताओं की विवादित कार्रवाई को चुनौती देने के लिए उनके द्वारा किए गए एक और व्यर्थ प्रयास पर भी ध्यान दिया जा सकता है। संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर और सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों के आधार पर, श्री सरीन द्वारा यह तर्क दिया गया कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों की स्थिति और स्थिति उनके समकक्ष है, यदि इससे अधिक नहीं है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद से हटाने के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध होती है। उस आधार पर यह तर्क दिया गया है कि सतर्कता जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की कार्रवाई अंततः उन्हें हटाने का आदेश देने के लिए दुर्भावनापूर्ण थी। हम पाते हैं कि विद्वान वकील का उपरोक्त

तर्क वर्तमान मामले में शामिल विवाद के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है। वर्तमान मामले में आयोग केवल पूर्व अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा किए गए कुछ पिछले चयनों की सतर्कता जांच और जांच और पूर्व सचिव की कार्यप्रणाली से व्यथित है। किसी भी सदस्य/अध्यक्ष को हटाने का सवाल न तो वर्तमान विवाद में कोई मुद्दा है और न ही हटाने के खिलाफ सुरक्षा के आधार पर इस स्तर पर आयोग द्वारा कोई सादृश्य उठाया जा सकता है।

(23) इस आदेश से अलग होने से पहले हमें एक तथ्य पर टिप्पणी अवश्य करनी चाहिए। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता-आयोग द्वारा की गई प्रार्थना न केवल सतर्कता अधिकारियों द्वारा आयोग से कुछ रिकॉर्ड मांगने के लिए की गई मांगों को रद्द करने के लिए है, बल्कि एक विशिष्ट प्रार्थना की गई है कि उपरोक्त जांच "मनमानी, अधिकार क्षेत्र के बिना, अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं" भारत का संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, द्वेष के आधार पर भेदभाव की बुराइयों से ग्रस्त है, भारत के कानून और संविधान के प्रावधानों के विपरीत, अधिकार का दुरुपयोग और शक्तियों का दुरुपयोग है। उत्तरदाताओं का एकमात्र उद्देश्य हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों को अपमानित, परेशान करना और अपमानित करना है।" इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आयोग द्वारा अपने अध्यक्ष और सदस्यों को बचाने का प्रयास किया गया है, जिन्होंने अज्ञात कारणों से सीधे इस न्यायालय से संपर्क नहीं करने का विकल्प चुना है। आयोग, जो एक संवैधानिक संस्था है, ने अनावश्यक रूप से अध्यक्ष और सदस्यों के हितों की निगरानी के लिए वर्तमान याचिका दायर की है, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहना चुना है। आयोग न तो स्वयं की बराबरी कर सकता है और न ही भारत के संविधान के तहत इसे अपने अध्यक्ष और इसके सदस्यों के बराबर रखा जा सकता है। आयोग की एक विशिष्ट और संवैधानिक पहचान है, जो इसके अध्यक्ष और सदस्यों से स्वतंत्र है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्तमान याचिका अध्यक्ष और सदस्यों के कहने पर, यद्यपि आयोग के नाम पर, दायर की गई है। हम आयोग के इस कृत्य पर अनुमोदन की कोई मुहर नहीं लगा सकते।

(24) हमारे सामने किसी अन्य बिंदु पर आग्रह नहीं किया गया है।

(25) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हमें वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है। तदनुसार, उसे खारिज किया जाता है।

(26) आदेश की एक प्रति सामान्य शुल्क पर दस्तयाब की जाए।

<u>अस्वीकरण:</u>

भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सागर शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूँह, हरियाणा